1. In the court of Abhishek K. Das, Sessions Judge, East Champaran at Motihari,
A.B.P. No. 1557/2026, dt. 15.04.2026, Tausif Raza vrs. State of Bihar.

न्यायालय,सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1557 / 2026

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. तौसीफ रजा वल्द इमामुद्दीन उम्र करीब 19 वर्ष
ग्राम–कुण्डवा , वार्ड नं0–11, थाना–चकिया, जिला–पूर्वी चम्पारण.....आवेदक ।

बनाम

बिहार सरकार .....विपक्षी ।

आवेदक की ओर से – श्री डॉ0 अधीर कुमार ,विद्वान अधिवक्ता ।
अभियोजन की ओर से – श्री खूबलाल प्रसाद, विद्वान लोक अभियोजक ।

आदेश

15.04.2026 यह अग्रिम जमानत आवेदक / अभियुक्त तौसीफ रजा की ओर से चकिया थाना कांड संख्या–46 / 2026, धारा– 126(2), 115(2), 109(1) / 3(5) बी.एन.एस. में अपनी गिरफ्तारी की आशंका होने पर दाखिल किया गया है।

अभियोजन के अनुसार सूचक के भतीजा जावेद अख्तर को जीशान उर्फ वसीयत, साकिर, तौसीफ रजा अन्य के साथ मिलकर बेल्ट एवं बॉक्सर से सर पर मारपीट कर जख्मी कर दिया।

अग्रिम जमानत आवेदन की कंडिका–2, में कहा गया है कि आवेदक के द्वारा पूर्व में अन्य कोई नियमित / अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है तथा कंडिका–3 में कहा गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है।

आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है, उसने आरोपित घटना को कारित नहीं किया है, उसे इस मामले में झूठा आरोपित किया गया है। आवेदक के विरूद्ध कोई स्पष्ट आरोप नहीं है। आवेदक को आशंका है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। अतः अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गई है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित प्रति एवं केस

डायरी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामित अभियुक्त है । कांड दैनिकी की कंडिका– 32 में जख्मी जावेद अख्तर का जख्म प्रतिवेदन अंकित है, जिसमें चिकित्सक की राय में जख्मी को कठोर एवं भोथरे वस्तु से कारित साधारण प्रकृति का जख्म पाया जाना अंकित है। कांड दैनिकी की कंडिका–43 के अनुसार आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास होना अंकित नहीं है। प्राथमिकी में आवेदक के विरूद्ध मारपीट करने का विनिर्दिष्ट आरोप नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, प्राथमिकी में आवेदक के विरूद्ध आरोप की प्रकृति, जख्म की साधारण प्रकृति एवं आवेदक का पूर्व स्वच्छ आपराधिक वृति को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक/अभियुक्त तौसीफ रजा द्वारा आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में मो0 10000/–रु. के बंध–पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद समाधान पर धारा– 438(2) बी.एन.एस.एस. के शर्तों के अधीन इस शर्त के साथ मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि आवेदक अनुसंधान में सहयोग करेंगे।

लेखापित

ह0/–
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।
दिनांक 15.04.2026